जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-01.09.2025**

थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जहानपुरा में दो पक्षों में हुए झगडे में जानलेवा हमला व मारपीट करने के मामले में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि दिनांक 24.08.2025 को थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जहानपुरा दो पक्षो द्वारा एक-दूसरे पर जानलेवा हमला कर मारपीट की घटना कारित की गयी थी। घटना का संज्ञान लेकर थाना कैराना पुलिस द्वारा 16 नामजद व कुछ अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक शामली के द्वारा थाना कैराना पुलिस को सतर्क दृष्टि रखने एवं नामित अभियुक्तगण की यथाशीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनांक 01.09.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जहानपुरा में दो पक्षों में हुए झगड़े में जानलेवा हमला व मारपीट करने के मामले में वांछित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। दिनांक 27.08.2025 को अभियुक्त राशिद को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा झगड़े में वांछित अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गयी हैं। शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1.इफजाल उर्फ काला पुत्र स्व0 इकबाल निवासी ग्राम जहानपुरा थाना कैराना जनपद शामली।

2.मुनव्वर पुत्र स्व0 इकबाल निवासी ग्राम जहानपुरा थाना कैराना जनपद शामली।

3.प्रवेज पुत्र स्व0 इकबाल निवासी ग्राम जहानपुरा थाना कैराना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री अनिरुद्ध कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

2.है0का0 प्रमेश कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

3.का0 निशान्त थाना कैराना जनपद शामली।

<u>थाना आदर्शमंडी पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जलालपुर में जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया गया।</u>

ज्ञात हो कि दिनांक 27.08.2025 को ऋषिपाल पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम जलालपुर थाना आदर्शमंडी जनपद शामली के बेटे की पत्नी के ऊपर गांव के संदीप व उसके भतीजे के द्वारा मारपीट व धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने के सम्बन्ध में थाना आदर्शमंडी पर दी गई तहरीर के आधार पर थाना आदर्शमंडी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त घटना को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक शामली ने अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना आदर्शमंडी को निर्देशित किया गया।

इसी क्रम में आज दिनाँक 01.09.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना आदर्शमंडी पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने तथा 01 बाल अपचारी को अभिरक्षा में लेने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना आदर्शमंडी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त

1.सन्दीप पुत्र रामपाल निवासी ग्राम जलालपुर थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री कृष्ण सांगवान थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

2.उ0नि0 श्री देवदत्त शर्मा थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

3.का0 अनुज कुमार थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

<u>थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

आज दिनांक 01.09.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.महबूब पुत्र दलेल निवासी गली नं0 2 आदर्श नगर कोर्ट रोड़, पुरानी तहसील जनपद बागपत।

थाना आदर्शमंडी पुलिस द्वारा ग्राम धनैना निवासी व्यक्ति की मृत्यु की घटना में 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त ई रिक्शा व मृतक मोबाइल फोन तथा निशादेही पर शराब की दुकान से स्कूटी बरामदः-

ज्ञात हो कि दिनांक 31.08.2025 को वादी श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र ब्रजपाल सिंह निवासी ग्राम धनैना थाना गढीपुख्ता जनपद शामली को सूचना प्राप्त हुई कि थाना आदर्शमंडी क्षेत्रान्तर्गत उसके बड़े भाई अजेन्द्र सिंह उर्फ पप्पू मृत अवस्था में वी0वी0 डिग्री कालेज के पास वाले रास्ते पर शव पड़े होने की आशंका जताई गयी थी । सूचना पर तत्काल थाना आदर्शमंडी पुलिस द्वारा मौके पर पहुँचकर शव को बाद पंचायतनामा कार्यवाही के पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया तथा वादी जितेन्द्र उपरोक्त द्वारा थाना आदर्शमंडी पर दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा अभियुक्त की यथाशीघ्र गिरफ्तारी कर घटना का अनावरण किये जाने हेतु निर्देश निर्गत किये गये थे।

इसी क्रम में आज दिनांक 01.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह के आदेशानुसार चलाये जा रहे गिरफ्तारी वांछित/वारन्टी, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना आदर्शमंडी पुलिस त्वरित कार्यवाही करते हुए ग्राम धनैना निवासी व्यक्ति की मृत्यु की घटना में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त ई रिक्शा व मोबाइल फोन बरामद किया गया है तथा निशादेही पर मृतक की स्कूटी धीमानपुरा शराब की दुकान से बरामद किया गया है। थाना आदर्शमंडी पर गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का उद्देश्यः- अभियुक्त समीर ने पूछताछ में बताया कि वह दिनांक 31.08.2025 को ई-रिक्शा चलाने के लिए शामली गया था। समय करीब साढ़े दस बजे वह ई-रिक्शा लेकर शिव चौक की ओर से आ रहा था तो धीमानपुरा फाटक से पहले देशी शराब के ठेके के सामने एक व्यक्ति ने मेरे रिक्शे को रुकवाकर एक शराबी को मेरी रिक्शा में बैठाया था और उसको कोतवाली के पास छोड़ने के लिए कहा लेकिन वह बहुत ज्यादा शराब के नशे में था। कुछ बोल नहीं पा रहा था। वह काफी देर तक ई रिक्शा में बैठकर इधर उधर घूमता रहा। ज्यादा नशे में होने के कारण उस व्यक्ति को ब्रिगेडियर इण्टर कालेज के पास डालकर उसका मोबाइल लेकर चला गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.समीर पुत्र बबलू निवासी ग्राम सिक्का थाना आदर्श मण्डी जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.घटना मे प्रयुक्त ई रिक्शा रजि न0- UP19T 9327।

2.मृतक अजेन्द्र का मोबाइल फोन सैमसंग कम्पनी बरामद।

3.अभियुक्त समीर की निशादेही पर शराब की दुकान से मृतक अजेन्द्र की स्कूटी TVS जूपिटर नं0 DL5SAN 0148।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.प्र0नि0 श्री राजेन्द्र गिरि थाना आदर्शमंडी जनपद शामली।

2.व0उ0नि0 श्री संदीप कुमार थाना आदर्शमंडी जनपद शामली।

3.उ0नि0 श्री लोकेश कुमार थाना आदर्शमंडी जनपद शामली।

4.है0का0 विकास चपराणा थाना आदर्शमंडी जनपद शामली।

5.का0 योगेश शर्मा थाना आदर्शमंडी जनपद शामली।

DELUX
Panther
Shot on moto g62 5G